

FROM NO.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

बज अदालत जिला कलेक्टर मुकाम - देव

..... अहकाम बनाम मुलाब हुसैन

कसम मुकदमा आवेदन धारा 518 नं. सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इतिथिपत्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की सामीप में जारी हुए
19 ³ / ₂₀₁₃	<p>आग्निभाषक उर्फ श्री गार्जना पत्र काबल पुलिस थाना मालपुरा द्वारा जप्त किए गये 2 बख्तों को सुपुर्हगी में दिये जाने हेतु अन्तर्गत धारा 518 गोपंश अधिनियम में पेश किया है। उन्मरण दर्ज रजिस्टर हो। थानाधिकारी मालपुरा से केस शपरी तलब होकर दिनांक 25-3-13 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">जिला कलेक्टर देव (राज.)</p>	
25 ³ / ₁₃	<p>आग्निभाषक उर्फ श्री उर्फ P. साहब अयकाथ परतई थानाधिकारी मालपुरा से केस शपरी जप्त। पत्रावली दिनांक 2-4-13 को पेश हो। शीट</p>	
2 ⁴ / ₁₃	<p>आग्निभाषक संघ द्वारा न्यायिक कार्य स्थापित करना। P. साहब अन्य राज कर्मों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 10-4-13 को पेश हो। शीट</p>	<p>S.H. मालपुरा की पत्रावली शीट में है।</p>

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व
अहकाम
हुक्म की
में जारी

1 7
19

पत्रावली जेश हुई। आम्बिकाधर पार्थी व
पेशेकार सुभार उजनी बहक सुनी गई।
आम्बिकाधर पार्थी ने पार्थीना-पत्र सुपुर्दगी
के माध्यम से कोई दस्तऐवज जेश नहीं
किया है जिससे यह साबित हो सके कि
दोनों पक्षों के बच्चे शैली के कार्य के
लिए दिनांक 8-2-2013 को शर्हीद कर
अपने जेब पर पहुँचाने के लिए जुल्फ
दुखेन पुर अम्बेशी खां के सुपुर्दगी किये
गये थे। प्रकरण को अपने चलते जाने
का औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः
पार्थीना-पत्र पार्थी शर्हीद किया जाकर
है। पत्रावली जेश सुभार हेकर बाद
रकमील जाकर दायित्व करार है।

जिला कलेक्टर
लोक